रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-20112026-278086
CG-DL-E-20112026-278086

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 891] नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 17, 2026/कार्तिक 26, 1948
No. 891] NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 17, 2026/KARTIKA 26, 1948

संचार मंत्रालय

(डाक विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 नवम्बर, 2026

सा.का.नि. 998(अ).— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और डाक विभाग (कनिष्ठ हिंदी अनुवादक और वरिष्ठ हिंदी अनुवादक) भर्ती नियम 1996 को, उन बातों के सिवाय जहां तक उनका संबंध वरिष्ठ हिंदी अनुवादक के पद से हैं, अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण के पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, संचार मंत्रालय, डाक विभाग में वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम डाक विभाग, वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी (समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2026 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद-संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर - उक्त पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में उनका स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अहर्ताएं, आदि – उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अहर्ताएं तथा उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता - वह व्यक्ति

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या पत्नी जीवित है, से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या पत्नी के जीवित रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परंतु यदि केंद्रीय सरकार की यह राय हो कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति - जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति - इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम।	पदों की संख्या।	वर्गीकरण ।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर।	चयन पद है या अचयन पद।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी	18* (2026) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ख' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर - 7 (44,900-1,42,400 रु.)	चयन।

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा।	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षणिक और अन्य अर्हताएं।	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं पदोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।
(6)	(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

भर्ती की पद्धति, क्या सीधे भर्ती होगी या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय पदोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(10)	(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति द्वारा, जिनके न होने की दशा में प्रतिनियुक्ति द्वारा ।	प्रोन्नति : ऐसे कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर–6 (35,400-1,12,400) में उस श्रेणी में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो और इसके उच्च पद के कर्तव्यों एवं उत्तरदायित्वों के संबंध में कम से कम दो सप्ताह का विभागीय प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो। **टिप्पण :** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा, परंतु यह तब जबकि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परीवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। प्रतिनियुक्ति : केंद्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन के ऐसे अधिकारी,- (क) (i) जिन्होंने मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारित किए हो ; अथवा (ii) जिन्होंने मूल संवर्ग अथवा विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर- 6 (35,400-1,12,400रु.) या समकक्ष पद पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात 5 वर्ष की सेवा की हो ;	**विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :** 1. उपमहानिदेशक (कार्मिक)-(अध्यक्ष); 2. निदेशक (स्टाफ पोस्टल नॉन-गैजेटड) या निदेशक (स्टाफ) -सदस्य; 3. सहायक महानिदेशक (स्टाफ पोस्टल नॉन-गैजेटड) या सहायक महानिदेशक (स्टाफ पोस्टल गैजेटड) - सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है।

	(ख) निम्नलिखित शैक्षणिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों : (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय अथवा परीक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी के साथ हिंदी में स्नातकोत्तर डिग्री; या (ii) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय अथवा परीक्षा के माध्यम के रूप में हिंदी के साथ अंग्रेजी में स्नातकोत्तर डिग्री; या (iii) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक स्तर पर अनिवार्य अथवा वैकल्पिक विषय के रूप में अथवा परीक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी तथा हिंदी अथवा अंग्रेजी को छोड़कर किसी भी विषय में हिंदी माध्यम से स्नातकोत्तर डिग्री; या (iv) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी या अंग्रेजी विषय को छोड़कर किसी अन्य विषय में अंग्रेजी माध्यम से स्नातकोत्तर डिग्री और स्नातक स्तर पर हिंदी को अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में लिया गया हो अथवा परीक्षा के माध्यम के रूप में लिया गया हो; या (v) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी या अंग्रेजी विषय को छोड़कर किसी अन्य विषय में अंग्रेजी माध्यम से स्नातकोत्तर डिग्री और स्नातक स्तर पर हिंदी तथा अंग्रेजी को अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में लिया गया हो अथवा इनमें से किसी एक को परीक्षा के माध्यम के रूप में तथा दूसरी को अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में लिया गया हो; और (ग) हिंदी से अंग्रेजी और विलोमत: अनुवाद में मान्यता प्राप्त डिप्लोमा अथवा प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम अथवा भारत सरकार के उपक्रम और संघ क्षेत्रों सहित केंद्रीय अथवा राज्य सरकार के कार्यालयों मे हिंदी से अंग्रेजी और विलोमतः अनुवाद कार्य में तीन वर्ष का अनुभव। **टिप्पण 1** : पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जान के पात्र नहीं होंगे।		

	टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि, साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 3**: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।		

[फा. सं. 07-02/2015-एसपीएन – I]

राज कुमार, उप महानिदेशक

MINISTRY OF COMMUNICATIONS

(Department of Posts)

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th November, 2026

G.S.R. 998(E).— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Department of Posts (Junior Hindi Translator and Senior Hindi Translator) Recruitment Rules, 1996, in so far as they relate to the post of Senior Hindi Translator, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Senior Translation Officer in the Department of Posts, Ministry of Communications, namely:-

1. Short title and commencement..- (1) These rules may be called the Department of Posts, Senior Translation Officer (Group 'B' Post) Recruitment Rules, 2026.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and level in pay matrix.-The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.-The method of recruitment, age -limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification.- No person, -
(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,
shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.-Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.- Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, other backword classes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of post.	Classification.	Level in pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Senior Translation Officer.	18*(2026) Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted, Non- Ministerial.	Level-7 in the pay matrix (Rs. 44900-142400).	Selection.

Age-limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.
(6)	(7)	(8)	(9)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.

Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or by deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(10)	(11)	(12)	(13)
By promotion, failing which by deputation.	Promotion: Junior Translation Officer in level-6 in the pay matrix (Rs. 35400-112400) with five years of regular service in the grade and having successfully completed the departmental training of atleast two weeks relating to the duties and responsibilities of the higher post. **Note :** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Deputation: Officers of the Central Government or State Government or Union territory Administration,-	**Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :-** Deputy Director General (Personnel)- Chairman; Director (Staff Personnel Non Gazetted) or Director (Staff) -Member; Assistant Director General (Staff Personnel Non Gazetted) or Assistant Director General (Staff Personnel Gazetted) - Member.	Consultation with the Union Public Service Commission is not necessary.

	(a) (i) holding analogous posts on a regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years service in the grade rendered after appointment to the posts on a regular basis in level-6 in the pay matrix (Rs. 35400-112400) or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing the following educational qualifications and experience, namely:- (i) Master's degree from a recognised University in Hindi with English as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level; or (ii) Master's degree from a recognised University in English with Hindi as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level; or (iii) Master's degree from a recognised University in any subject other than Hindi or English, with Hindi medium and English as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level; or (iv) Master's degree from a recognised University in any subject other than Hindi or English, with English medium and Hindi as a compulsory or elective subject or as the medium of an examination at the degree level; or (v) Master's degree from a recognised University in any subject other than Hindi or English, with Hindi and English as compulsory or elective subjects or either of the two as the medium of examination and the other as the compulsory or elective subject at the degree level; and (c) recognised diploma or certificate course in translation from Hindi to English and vice versa or three years experience of translation work from Hindi to English and vice versa in a Central Government or State Government office including Government of India undertakings and the Union territories. **Note** 1: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.		

	Note 2: The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. **Note 3:** The maximum age-limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.		

[F. No. 07-02/2015-SPN-I]

RAJ KUMAR, Dy. Director General

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.